



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272387  
CG-DL-E-09052026-272387

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2260]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2260]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2351(अ).— केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 2 के खंड (26) के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट करती है कि कोई कर्मचारी जिसकी मजदूरी अंशदान अवधि के प्रारंभ होने के पश्चात् और उससे पूर्व नहीं, किसी भी समय, संहिता के अध्याय 4 के अधीन सदस्य बनने के प्रयोजनों हेतु संहिता की धारा 2 के खंड (89) के अधीन मजदूरी की अधिकतम सीमा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, से अधिक हो जाती है, तो भी वह उस अंशदान अवधि के शेष समय के लिए कर्मचारी बना रहेगा।

[फा. सं. आर-19025/17/2026-एस एस-1]

आशुतोष ए. टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

**S.O. 2351(E).**— In exercise of the powers conferred by the first proviso to clause (26) of section 2 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby specifies that an employee whose wages exceed at any time after, and not before, the beginning of the contribution period, the wage ceiling as may be notified by the Central Government under clause (89) of section 2 of the Code for the purposes of becoming a member under Chapter IV of the Code, shall continue to be an employee for the remainder of that contribution period.

[F. No. R-19025/17/2026-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.